फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजी परिपत्र संख्या - 45 /2015

अरविन्द कुमार जैन
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जून 15 ,2015

विषय : महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में दण्ड प्रकिया संहिता के संशोधित प्राविधानों का सम्यक् रूप से समावेश किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रिय,

प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में त्वरित एवं समग्र विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। महिलाओं के साथ घटित होने वाली घटनाओं का तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु अभी भी मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। जिसके कारण पुलिस को न्यायपालिका एवं मीडिया में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

आप सहमत होगे कि महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध यथा बलात्कार, छेड़खानी आदि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं। विशेष रूप से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार तथा छेड़खानी आदि घटित होने वाली घटनायें अत्यन्त चिन्ता का विषय है। ऐसे अपराधों के रोकथाम हेतु महिलाओं द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुपालन अभी भी तत्परता से नही किया जा रहा है। ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आयें हैं कि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराधों की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भी दण्ड प्रकिया की धारा 154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नही करते हैं, जो घोर अप्रसन्नता का विषय है। धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 निम्नवत है -

"Section 154 in the Code of Criminal Procedure 1973

154 information in cognizable cases

(1) Every information relationg to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Gvoernment may perscribe in this behalf.

(2) A copy of the information as recorded under sub-section(1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.

(3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection(1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or dierct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence."

महिलाओं के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई यौन हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम 2013 दिनांक 03 फरवरी 2013 को प्रवृत्त हुआ है और उसके द्वारा भा0द0सं0 के अन्तर्गत धारा 166 ए सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत है -

"166A Who ever, being a public sevant –

(a) Knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or

(b) Knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or

(c) Fails to record any information given to him under sub-section

(i) Of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and in particular in relation to cognizable offence punishable under section 354A, section 354B, section354C, sub-section(2) of section 354D, section376, section376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E,

Shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both."

उपरोक्त के दृष्टिगत द0प्र0सं0 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये जो निम्नवत हैं -

- धारा 154 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत यदि किसी महिला के साथ एसिड अटैक, छेड़खानी, बलात्कार और 509 भा0द0सं0 के अपराध की सूचना दी जाती है तो उसके बयान को एफआईआर में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
- धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत छेड़खानी व बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
- धारा 166 भा0द0वि0 की उपधारा 166 ए भा0द0वि0 (vide Crl. Law Amendment Act 2013) के अन्तर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 354 एवं धारा 376 भा0द0वि0 व उनके अन्तर्गत उपधारा की सूचना मिलने पर एफ0आई0आर0 दर्ज करने में हीला हवाली करता है तो उसके विरूद्ध धारा 166क के अन्तर्गत दण्डित करने का प्राविधान किया गया है।

महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में अपनायी जाने वाली प्रकिया -

- प्रत्येक पुलिस थाने पर एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- महिला सम्बन्धी किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर थाने का दिवसाधिकारी थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा। इस महिला पुलिस अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढ़ाढ़स देकर उसे शान्त करे।
- अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण द0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।
- यदि उपरोक्त अपराधों से पीड़ित महिला शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवाद या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
- पीड़ित महिला का बयान धारा 164द0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।
- प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त महिला को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेगा।
- उपरोक्त सभी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करेंगें।
- पीड़ित महिला का 161 द0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जायेगा इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160द0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नही

बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर में एकान्त(प्राइवेट) में ही लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।

- किसी भी दशा में अभियुक्त को कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त पीड़िता के समक्ष नही लाया जायेगा।
- महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगणों की समीक्षा कर ले और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर कर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही कराये।
- विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें जिससे अभियुक्तगण को धारा 167द0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।
- महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुव्यर्वहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके व उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाये। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाये। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाये।
- यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम 2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।
- यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भा0द0वि0 में हुए संशोधन Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे भली-भाँति अध्ययन करके अपने जनपद में एक कार्यशाला के माध्यम से इसके बारे में समस्त अधीनस्थों को जानकारी देकर व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चत करेगें कि महिला व बच्चों से सम्बन्धित अपराधों में उचित धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी इसके लिए स्वयं उत्तरादायी होगें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीय

15.6.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।